फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

: श्रीमती नर्बदा बनाम विपक्षी : श्रीमती नर्बदा व अन्य

म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 115 / 22

कार्यवाही विवरण

ाक 04.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी मय विपक्षी ुपरिस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा र्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 जा.दी. का जवाब पेश नही किया गया। जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. से पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र मुल वाद के प्रतिवादी ख्या 3 से 6 की तरफ से पेश किया गया है जो इस पत्रावली मे पक्षकार नहीं नहीं है। तः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। करण मे अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी 5 कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पति हैं जो स्वर्गीय वरदा ेता मोती व प्रतिवादी अणछाई, खेमराज, चुन्नीलाल, नारू के पुर्वाधिकारी चतरभुज के समय ो चली आ रही है स्वर्गीय वरदा की मृत्यु 35 वर्ष पुर्व हो चुकी हैं स्वर्गीय वरदा के 3 पुत्र व पुत्रीयां है। यह की स्वर्गीय वरदा जी के मृत्यु के पश्चात प्रार्थनाग्रस्त भूमि में उनके पुत्र ारिसान ने मिलीभगत कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि को अपने नाम अंकित कर ली जबकि विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी के पति के नाम व मुल वाद में अन्य प्रतिवादी के नाम होने से विपक्षी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा होने व प्रार्थी के हिस्से कब्जे भूमि पर जबरन प्रवेश करने की कूचेष्टा में होने से विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में विपक्षी द्वारा जवाव पेश नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पति होना बताया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है या नहीं ? इस बिन्दु को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। इस पत्रावली में इस बिन्दु को तय नहीं कर सकते हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हित निहित हैं। अगर विपक्षी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो इससे मौके की स्थिति में परिवर्तन होगा। प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का विन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों विन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा हींता पटवार हल्का हींता तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 116 की आराजी नम्बर 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 किता 6 रकबा 1.1800 है. भूमि व मौजा गाडरियावास [illegible] तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज की जमाबंदी संवत [illegible]1 की परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 17 की आराजी न. 252, 253, 254, [illegible] 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 429 कुल किता 14 रकबा 7.4500 है. भूमि में [illegible]क्षी मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

[illegible] खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:17:50 IST
Reason: SelfAttested